भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2194**
02 अगस्त, 2023 को उत्तर देने के लिए

**वज्र योजना**

**2194. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वज्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) निर्धारित पात्रता मानदण्डों और इस योजना के अंतर्गत सहायता की प्रकृति और अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से भारत के अनुसंधान और विकास पारितंत्र को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाने में मदद मिलेगी, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार को वज्र योजना के कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ड) इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के बाद संबंधित सूचकांकों में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार भारत में अनुसंधान और विकास में अनिवासी भारतीयों और प्रवासी वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कोई अन्य नीतियां बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(डॉ. जितेंद्र सिंह)**

(क) जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का सांविधिक निकाय, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) भारत के अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र के साथ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाने के उद्देश्य से विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र) फेकल्टी योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना, भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगशील अनुसंधान करने के लिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) सहित विदेशी वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान एवं विकास पेशेवरों को सहबंध/विजिटिंग संकाय कर्तव्यभार की पेशकश करती है। इस योजना का उद्देश्य एक या अधिक भारतीय सहयोगियों के साथ प्राथमिकता वाले अंतर अनुशासनिक क्षेत्रों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोगशील अनुसंधान में वज्र संकाय सदस्य को विनियोजित करना है।

(ख) वज्र संकाय योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

(i) विदेशी वैज्ञानिक / संकाय सदस्य को अनुसंधान और विकास के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अकादमिक / अनुसंधान / औद्योगिक संगठन में काम करने वाला सक्रिय शोधकर्ता होना चाहिए।

(ii) भारतीय सहयोगी (योगियों) को, देश में अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों में नियमित संकाय सदस्य/शोधकर्ता होना चाहिए।.

सहायता की प्रकृति और अवधि नीचे दी गई है:

(i) भारत में वज्र संकाय की रेजीडेंसी अवधि न्यूनतम 1 माह और अधिकतम 3 माह होगी।

(ii) वज्र संकाय सदस्य को विनियोजन के प्रथम माह में 15000 अमेरिकी डॉलर और अगले दो महीनों में 10000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।.

(iii) भारतीय मेजबान द्वारा वज्र संकाय संस्थान में सप्ताह से अन्यून और 30 दिनों से अनधिक अवधि का एक शोध अभ्यागमन भी करवाया जाएगा। बोर्ड अपने मानदंडों के अनुसार वापसी के लिए 1.5 लाख रुपये प्रतिदिन से अनधिक का इकोनॉमी हवाई किराया, और आवास भत्ता प्रदान करेगा ।

(iv) भारतीय मेजबानों के अनुसंधान समूह से तीन से छह महीने की अवधि के लिए वज्र संकाय संस्थान में 2 साल के विनियोजन के बाद 2 से अनधिक शोध छात्रों के सहयोगशील अनुसंधान अभ्यागमन करवाए जाएंगे। बोर्ड अपने मानदंडों के समतुल्य वापसी के लिए इकोनॉमी हवाई किराया, 60,000 रुपये का एकमुश्त आकस्मिक अनुदान और फैलोशिप प्रदान करेगा।

(v) 5.0 लाख रु. प्रति वर्ष का अनुसंधान अभ्यागमन प्रति वज्र संकाय भारतीय मेजबान के लिए प्रदान किया जाता है ताकि सहयोगशील शोध संबंधी खर्च पूरे किए जा सकें ।

(vi) वज्र संकाय सदस्य को मेजबान संस्थान में विशेषज्ञता के उनके क्षेत्र में व्याख्यान देने के लिए प्रति वर्ष 1.0 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

(ग) जी हां, वज्र संकाय योजना भारत स्थित मेजबान संस्थानों में एनआरआई/ओसीआई अभ्यागमन को सुकर करती है, जिसके परिणामस्वरूप सहयोगशील अनुसंधान और संयुक्त प्रकाशन होते हैं जो भारत के अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र में आगामी सहयोग और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहायता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

(घ) एवं (ड़) वज्र संकायों सदस्यों को कई चरणों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है ताकि योजना के कार्यान्वयन में अनुभूत व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(च) वज्र संकाय पदों की पेशकश एनआरआई/ओसीआई सहित 80 से अधिक विदेशी संकाय सदस्यों को की गई है, जिन्होंने भारत स्थित मेजबान संस्थानों में कई बार अभ्यागमन किया है। इस योजना के तहत अब तक विश्व के 18 देशों में फैले 71 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि सहित 33 मेजबान भारतीय संस्थानों में सहयोगशील अनुसंधान किया है।

(छ) भारत में अनुसंधान एवं विकास में एनआरआई और विदेशी वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (वैभव) अध्येतावृति कार्यक्रम लागू किया है। वैभव फैलोशिप भारतीय उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई एस), विश्वविद्यालयों और/या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भारतीय डायस्पोरा के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। वैभव फेलो सहयोग के लिए भारतीय संस्थान की पहचान करेगा और 3 वर्षों तक वर्ष में अधिकतम दो महीने तक का समय व्यतीत कर सकता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, इटली के साथ डीबीटी-टीडब्ल्यूएएस फेलोशिप कार्यक्रम और रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप को भी संयुक्त रूप से लागू करता है जो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में देश के बाहर काम करने वाले वैज्ञानिकों (भारतीय नागरिकों) को प्रोत्साहित करता है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएई, डीओएस,-एमओईएस एवं एमईएस) की सहायता से राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल प्रभास, "प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क" विकसित किया है ताकि भारतीय अनुसंधान/सामाजिक चुनौतियों/समस्याओं पर ध्यान देने के लिए आभासी मंच के माध्यम से वैश्विक भारतीय एसएंडटी समुदाय को विनियोजित किया जा सके। प्रभास ने विभिन्न इंटरैक्शन, मार्गदर्शन और सहयोगी अनुसंधान एवं विकास के लिए कई प्रवासियों को भारतीय एसएंडटी समुदाय के साथ जोड़ा है। सीएसआईआर 'प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों' के पदों पर एनआरआई और विदेशी वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है ताकि वैश्विक वैज्ञानिक चुनौतियों पर ध्यान देने वाले नए एसएंडटी परिदृश्य को आकार देने पर इसके फोकसित प्रयासों से उन्हें विनियोजित किया जा सके ।

******